

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) जैसलमेर

क्रमांक : रसद/विज्ञप्ति/उ.मू.दु.आवंटन/2025/ 1295

दिनांक :- 19-6-2025

:: विज्ञप्ति ::

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ 17 (1) खावि/न्याय/2025 दिनांक 24.02.2025 एवं पत्रांक एफ 17 (1) खावि/न्याय/2025 दिनांक 12.03.2025 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जैसलमेर जिले में कुल 9 नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के आवंटन करने हेतु इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 (1) के अन्तर्गत प्राधिकार-पत्र जारी किये जाने हेतु सशुल्क आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र दिनांक 23 जून, 2025 (सोमवार) से कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जैसलमेर (जिला कलक्टर कार्यालय परिसर) से (राजकीय अवकाश को छोड़कर) 100/- रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जिला रसद अधिकारी, जैसलमेर के पक्ष में प्रस्तुत कर प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र विहित रीति से भरे जाकर पात्रता सम्बन्धी समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति व घोषणा पत्र के साथ दिनांक 14 जुलाई, 2025 (सोमवार) को सायं 6.00 बजे तक कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जैसलमेर में जमा कराये जा सकेंगे। नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	तहसील	ग्राम पंचायत/नगरपालिका	स्थान	आरक्षण स्थिति	रिक्त/नवसृजित
1	फतेहगढ़	देवड़ा	कोठा	अनारक्षित	नवसृजित
2	फतेहगढ़	झिनझिनयाली	जैनों का वास	अनारक्षित	नवसृजित
3	फतेहगढ़	फतेहगढ़	नाइयों का वास	अनारक्षित	नवसृजित
4	रामगढ़	नेतसी	नेतसी	महिला आरक्षित	नवसृजित
5	सम	सम	रोजाणियों की बस्ती	महिला आरक्षित	नवसृजित
6	भणियाणा	राजमथाई	राजमथाई नई	महिला आरक्षित	नवसृजित
7	भणियाणा	बागथल	बागथल	अनारक्षित	नवसृजित
8	भणियाणा	प्रभुपुरा	प्रभुपुरा	अनारक्षित	नवसृजित
9	पोकरण	सांकड़ा	भोमसर	अनारक्षित	नवसृजित

उपरोक्त नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ 17 (1) खावि/विधि/08 दिनांक 17.03.2016 एवं पत्रांक एफ 17 (5) खावि/न्याय/महि.आर/2019 दिनांक 25.11.2020 तथा पत्रांक एफ 17 (4) खावि/न्याय/2025 दिनांक 10.05.2025 द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के संबंध में जारी दिशा-निर्देश में वर्णित चयन प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जावेगी। उचित मूल्य दुकानों का आवंटन के संबंध में योग्यता, चयन मापदण्ड एवं अन्य दिशा-निर्देशों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईड www.food.rajasthan.gov.in व जिला रसद कार्यालय जैसलमेर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

उक्त नवसृजित उचित मूल्य दुकानों में कमी/वृद्धि/संशोधन विभाग द्वारा किया जा सकता है तथा नवसृजित को भरने/ना भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय सुरक्षित रहेगा।

उक्त विज्ञप्ति में दुकानों का आवंटन/नियुक्त विभिन्न अपीलीय/न्यायिक न्यायालयों के निर्णयों के अधधीन होगा।



(प्रताप सिंह)

जिला कलक्टर (रसद)
जैसलमेर

क्रमांक : सम/ 1296-1318

दिनांक :- 19-6-2025

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान् संभागीय आयुक्त, जोधपुर संभाग जोधपुर।
4. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. श्रीमान् उपायुक्त एवं उप शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. श्रीमान् सांसद महोदय, जोधपुर/बाड़मेर।
7. श्रीमान् विधायक महोदय, जैसलमेर/पोकरण।
8. श्रीमान् जिला प्रमुख, जैसलमेर।
9. श्रीमान् सभापति महोदय, नगरपरिषद् जैसलमेर/अध्यक्ष, नगरपालिका, पोकरण।
10. निजि सचिव, जिला कलक्टर, जैसलमेर।
11. ए.सी.पी. खाद्य विभाग जयपुर उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईड www.food.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने बाबत्।
12. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, समस्त जिला जैसलमेर।
13. आयुक्त, नगर परिषद् जैसलमेर/अधिशायी अधिकारी, नगरपालिका, पोकरण।
14. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त जिला जैसलमेर।
15. एसीपी, सूचना एवं तकनीकी विभाग, जैसलमेर को जिले की वेबसाईड पर अपलोड करने बाबत्।
16. जनसम्पर्क अधिकारी, जैसलमेर को जनहित में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
17. सरपंच, ग्राम पंचायत
18. प्रबंधक नागरिक आपूर्ति, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, जैसलमेर।
19. प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक, जैसलमेर/पोकरण/भणियाणा/फतेहगढ़।
20. अन्य
21. रक्षित पत्रावली।


जिला रसद अधिकारी
जैसलमेर